

Filing. MJC / 46 / 2017

CNR. MP 3005000268 2017

Case. MJC / 11 / 2017

47

II-155

C.J.(E)

# ORDER SHEET

THE COURT

Of 20

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
25/12	<p>आवेदक सहित श्री एस.एस. तोमर अधिवक्ता ने उपस्थित होकर एक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 151 जादी का पेश कर इस न्यायाल के प्र.क्र.-19/15 क्लेम अशोक सिंह - राजू आदि खा.दि.- 12-11-16 के पालन में जमा शुदा अवार्ड राशि के भुगतान कराये जाने वावत् मय में पेश किया।</p> <p>आवेदनपत्र की प्रति नायब नाजिर गोहद की ओर भेजकर जमा शुदा अवार्ड राशि के संबंध में प्रतिवेदन तलब हो।</p> <p>प्रकरण विधिवत एम.जे.सी. पंजी में पंजीबद्ध हो।</p> <p>मूल अभिलेख तलब हो।</p> <p>प्रकरण लोक अदालत में प्रतिवेदन/अभिलेख हेतु दिनांक 11-01-17 को पेश हो।</p> <p>पी. सी. आर्य सदस्य वि. मोटर दुर्घटना दाता प्राधिकरण गोहद जिला-मिण्ड (म.प्र.)</p>	<p>रवि सिंह</p> <p>11/2/17</p>
11/2/17	<p>आवेदक रवि सिंह सहित श्री एस.एस. तोमर अधिवक्ता ने उपस्थित।</p> <p>प्रकरण प्रतिवेदन की प्राप्ति हेतु नियत है।</p> <p>नायब नाजिर गोहद से प्रतिवेदन प्राप्त मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है।</p> <p>बीमा कंपनी अधिवक्ता श्री के.पी. राठौर उपस्थित। अवार्ड राशि आवेदनपत्र पर तयराश का मुना गया।</p> <p>मूल अभिलेख का अवलोकन किया अवार्ड राशि के जमा होने के संबंध में नाजिर रिपोर्ट का अवलोकन किया।</p>	<p>11/2/17</p>

(P.T.O.)



Date of  
order or  
proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

आवेदनपत्र पर विचार किया गया। प्रकरण में आवेदक को क्षतिपूर्ति हेतु आदि. 12-11-18 के पालन में बीमा कम्पनी द्वारा 800000/- (छे लाख) रुपये जरिये बैंक जमा किया गया। जो इस न्यायालय के बैंक जमा पंजी कं-21/18 दिनांक 17-12-18 को 800000/- (छे लाख) रुपये से नजरत अनुभाग गोहर भेजा गया जो नजरत अनुभाग के पंजीवन कमांक 20/18 दिनांक 20-12-18 पर जमा होकर शेष है।


मूल समिलेखा के अवलोकन से दर्शित होता है, कि उपर्युक्त प्रकरण साक्षिक नेशनल लोक अदालत में इसी न्यायालय में निराकृत प्रकरण दिनांक 12-11-18 को हुआ। आदेश दिनांक 12-11-18 का अवलोकन किया जिसमें राजीनामा के आधार पर अवार्ड पारित करते हुए राशि 800000/- (छे लाख) रुपये आवेदकगण को बीमा कम्पनी द्वारा ही माफ के भीतर भरा किये जाने का आदेश दिया गया है। जिसमें से आवेदक 01 लगायत 03 को कि मृतिका के पति व पुत्र है। उनको प्रलोक के नाम पर राष्ट्रीयकृत बैंक में 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रुपये की राशि 03 माह की सावधी जमा खाते (एफ.डी.आर.) के माध्यम से प्रदान की जाये। तथा 25000/25000 (पच्चीस-पच्चीस हजार) रुपये उन्हें नगर कृष से बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किए जाए। तथा आवेदक कं-4 व 5 को वृद्धवस्था को देखते हुए आवेदिका कं-4 को 50,000/- (पचास हजार) रुपये व आवेदक कं-5 को शेष 25000/- (पच्चीस हजार) रुपये राष्ट्रीयकृत बैंक खाते के माध्यम से नगर भुगतान किये जाने का आदेश है।


चूंकि आवेदक रवि द्वारा अपनी जमा मुता राशि के संबंध में पृथक से अवार्ड राशि प्राप्त किये जाने आवेदनपत्र पेश किया है। जो मृतिका का पुत्र है। अतः आदेश के पालन में आवेदक रवि सिंह पुत्र अशोक सिंह निवासी गोहर चौसड़ा तहसील गोहर जिला भिण्ड म.प्र. 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रुपये की 03 वर्ष की सावधी जमा खाते (एफ.डी.आर.) के माध्यम से प्रदान की जाये तथा 25000/- (पच्चीस हजार) रुपये राष्ट्रीयकृत बैंक खाते के माध्यम से नगर भुगतान किये जाने का आदेश है। आदेशानुसार पक्षकार के उपस्थित होने पर रिफण्ड बातचीत तैयार कर नाया नाजिर गोहर की ओर कार्यवाही हेतु भेजा जाये।

लोक अदालत के उद्देश्य तैयार हो।

मूल समिलेखा प्रकं-19/15 कलम अशोक सिंह तामर बनस राजू आदि आदि. 12-11-18 में आदेश की प्रति संलग्न कर समिलेखागत भिण्ड को वापिस भेजा जाये।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर समिलेखागत भिण्ड भेजा जाये।

  
(को.जी. 34 8215)  
रवि  
12/12/18-15-

  
(को.जी. 34 8215)  
जी.डी.सी. अशोक सिंह तामर  
गोहर जिला भिण्ड म.प्र.  
(को.जी. 34 8215)  
रवि

रवि तामर